



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 06 जुलाई, 2023 / 15 आषाढ़, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

**INDUSTRIES DEPARTMENT**  
**Section-A**

NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 28th June, 2023*

**No. Ind-A(B)5-2/2023.**—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order shifting the post of Joint Director of Industries, Group-A from District Industries Centre, Sirmaur at Nahan to

Directorate of Industries, Shimla and further one post of Deputy Director of Industries/General Manager, Group-A from Directorate of Industries, Shimla to District Industries Centre, Sirmaur at Nahan, with immediate effect.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to transfer/posting of following Officers of Industries Department with TTA/JT, in public interest, with immediate effect:—

Sl. No.	Name of the Officers	From	To
1.	Sh. Gian Singh Chauhan, Joint Director of Industries.	District Industries Centre, Sirmaur at Nahan.	Directorate of Industries, Shimla.
2.	Sh. Sakshi Satti, General Manager.	District Industries Centre, Bilaspur.	District Industries Centre, Sirmaur at Nahan. He will also continue to hold the additional charge of SWCA Nalagarh, District Solan.
3.	Sh. Sandeep Kumar, General Manager.	The Officer posted as General Manager, District Industries Centre, Hamirpur, shall also hold the additional charge of the post of General Manager, District Industries Centre, Bilaspur, in addition to his own duties.	

The above mentioned Officers are directed to join their duty at new place of posting immediately and submit their joining report to this Department as well as Director of Industries, Himachal Pradesh.

By order,

R. D. NAZEEM, I.A.S.,  
Principal Secretary (Industries).

### पंचायती राज विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-171 009, 1 जुलाई, 2023

**संख्या: पीसीएच-एचए (3)4/07-18734-38.**—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना जिसे दिनांक 28 अप्रैल, 2023 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, के अन्तर्गत जिला कांगड़ा के विकास खण्ड प्रागपुर की ग्राम सभा "चुधरेड़" का नाम बदलकर "लोअर सुनहेत" करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त जिला कांगड़ा को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ग्राम सभा "चुधरेड़" का नाम बदलकर "लोअर सुनहेत" करने के संदर्भ में कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3(2)(घ) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन जिला कांगड़ा के विकास खण्ड प्रागपुर की ग्राम सभा "चुधरेड़" का नाम बदलकर "लोअर सुनहेत" करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—  
सचिव (पंचायती राज)।

**FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS,  
DISRICT SIRMAUR AT NAHAN**

**NOTIFICATION**

*Dated, the 1st July, 2023*

**No. FDS-34-690/77-XII-2580-2625.**—In supersession of all previous notifications and *vide* Department's Notification No. FDS-A(3)7/2016-1 dated 09-05-2023. *vide* which H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977 and Himachal Pradesh Commodities Price Marking and Display Order, 1977 has been evoked, and in exercise of the powers conferred upon me under clause 3(1)(e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Sumit Khimta I.A.S. District Magistrate, Sirmaur do hereby fix the retail prices including all taxes and other incidental charges in respect of the following essential commodities that may be charged by the dealers or a retailer in Sirmaur district with immediate effect :—

Sl. No. of the Articles as per schedule-1 of the said order	Sl. No.	Name of Articles	Maximum price inclusive of all taxes
<b>12</b>	1.	Meat Goat/Bheda <b>Per Kg</b>	500/-
	2.	Meat Pig <b>Per Kg</b>	240/-
	3.	Chicken/Broiler dressed <b>Per Kg</b>	200/-
	4.	Chicken/ Broiler Alive <b>Per Kg</b>	140/-
	5.	Fish fried with bone <b>Per Kg</b>	480/-
	6.	Fish Fried bone less <b>Per Kg</b>	600/-
	7.	Fish un-fried <b>Per Kg</b>	180/-
<b>17</b>	1.	Full diet(Rice, Chapati with Dal and Vegetables)	70/-
	2.	Chapati Tandoori per Chapati	7/-
	3.	Chapati Tawa per Chapati	5/-
	4.	Stuffed praantha per praantha	30/-
	5.	Three Puri with chana per plate Two Puri with chana per plate	50/- 40/-

	6.	Rice Permal (200 gms)per plate	40/-
	7.	Dal fried per plate	50/-
	8.	Vegetable special per plate	80/-
	9.	Palak Paneer/Mutter Paneer per plate	100/-
	10.	Meat plate with 5 piece weighting 200 Gms	150/-
	11.	Chicken Curry Plate with 5 piece weighing 200 Gms	120/-
	12.	Dahi Raita per plate	30/-
<b>18</b>	1.	Milk local per liter	40/-
	2.	Milk all brands(in Packets)	On printed rate
	3.	Dahi Per Kg.	60/-
	4.	Paneer <b>Per Kg.</b>	280/-
<b>20</b>	1.	All cold drinks of 200 ML.	On printed rate

**Note.**—Every dealer/shopkeeper will issue cash memo to each consumer and keep duplicate copy of the same for inspection please.

The dealer /Shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance of the business premises which will be signed and dated by the Owner/Partner/Manager.

Sd/-

SUMIT KHIMTA, I.A.S.,  
District, Magistrate,  
District Sirmaur.

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जुलाई, 2023

**संख्या: टी0सी0पी0-ए (3)-5/2019-लूज.**—हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 में संशोधन कार्यान्वयन करने हेतु प्रारूप अधिसूचना को इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 31-05-2023 द्वारा अधिसूचित किया गया था और उक्त अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उसके द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप(पों) और सुझाव (वों) को आमन्त्रित करने के लिए इसे राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में तारीख 03-06-2023 को प्रकाशित किया गया था;

और इस निमित्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप(पों) और सुझाव(वों) पर सभ्यक रूप से विचार किया गया है और स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी-ए(3)-1/2014-I, तारीख 1 दिसम्बर, 2014 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में तारीख 1 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (नौवां संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 16 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है) के नियम 16 के उप-नियम (2) के पश्चात् उप-नियम (3) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(3) (क) आवासीय एटिक की दशा में 16(2) के अधीन उन मामलों, जिनका प्रीमियम एफ.ए.आर. 0.25 तक अन्तर्वलित है, हेतु संदेय फीस के अतिरिक्त निम्नलिखित फीस भी उद्गृहित की जाएगी:—

क्रम संख्या	छत के निचले प्रभाग के प्रक्षेपक क्षेत्र जिसकी ऊँचाई 2.1 मीटर या उससे अधिक है (वर्ग मीटर में)	दरें रुपयों में (आवासीय हेतु)
1.	40 वर्ग मीटर तक	50,000 /—
2.	40—60 वर्ग मीटर	75,000 /—
3.	60—100 वर्ग मीटर	1,00,000 /—
4.	100 वर्ग मीटर से अधिक	1000 /—प्रति वर्ग मीटर

(ख) सम्पदा परियोजनाओं सहित, आवासीय उपयोग से अन्यथा उपयोग के लिए दरें उपरोक्त दरों से 1.6 गुणा अधिक होंगी।”

**3. परिशिष्ट-1 का संशोधन.**—“उक्त नियमों” से संलग्न परिशिष्ट-1 की क्रम संख्या—III के साधारण विनियमों में, विनियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“22. एटिक और आधारक:

(i) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के वैधानिक उपबन्धों के अधीन अधिसूचित किसी योजना या विशेष क्षेत्र की बाबत यथा लागू तत्समय प्रवृत्त किसी विकास योजना/अन्तरिम विकास योजना के साधारण विनियमों के अधीन किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, आवासीय उपयोग के लिए एटिक अनुज्ञेय होगा। आवासीय एटिक हेतु प्रीमियम एफ.ए.आर. 0.25 अनुज्ञेय होगा जिसके लिए नियम 16(3) के अधीन यथानिहित अतिरिक्त फीस संदेय होगी। तथापि, एटिक, यथा स्थिति, विकास योजना/अन्तरिम विकास योजना के ऐसे विनियमों के अधीन यथा उपबन्धित भवन की अधिकतम अनुज्ञेय उँचाई के अन्तर्गत होगा।

(ii) जहाँ कहीं आवासीय एटिक प्रस्तावित किया गया है ढलान वाली छत की उँचाई किनारों से 0 से 0.75 मीटर तक भिन्न हो सकेगी और केन्द्र में रिज की उँचाई भवन की अधिकतम अनुज्ञेय उँचाई के अध्याधीन सुनम्य (फ्लैक्सिबल) होगी।

(iii) आवासीय एटिक की दशा में केवल 2.1 मीटर की स्पष्ट उँचाई वाला क्षेत्र ही एफ.ए.आर. के हेतु गिना जाएगा।

- (iv) आवासीय एटिक का विकल्प निवासिया और अन्य उपयोगों के लिए उपलब्ध होगा। प्रत्येक ब्लॉक में आवासीय एटिक हेतु पृथक फीस प्रभार्य होगी।
- (v) आवासीय आधारक को एक स्वतंत्र मंजिल के रूप में गिना जाएगा। “

**4. परिशिष्ट-8 का संशोधन.**—उक्त नियमों से सलग्न परिशिष्ट-8 की क्रम संख्या 5 'अन्य अनिवार्यताएं' में, विनियमन (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ii) एटिक और आधारक:

- (क) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के वैधानिक उपबन्धों के अधीन अधिसूचित किसी योजना या विशेष क्षेत्र की बाबत यथा लागू तत्समय प्रवृत्त किसी विकास योजना/अन्तरिम विकास योजना के साधारण विनियमों के अधीन किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, आवासीय उपयोग के लिए एटिक अनुज्ञेय होगा। आवासीय एटिक हेतु प्रीमियम एफ.ए.आर. 0.25 अनुज्ञेय होगा जिसके लिए नियम 16(3) के अधीन यथानिहित अतिरिक्त फीस संदेय होगी। तथापि, एटिक, यथा स्थिति, विकास योजना/अन्तरिम विकास योजना के ऐसे विनियमों के अधीन यथा उपबन्धित भवन की अधिकतम अनुज्ञेय उँचाई के अन्तर्गत होगा।
- (ख) जहां कहीं आवासीय एटिक प्रस्तावित किया गया है ढलान वाली छत की उँचाई किनारों से 0 से 0.75 मीटर तक भिन्न हो सकेगी और केन्द्र में रिज की उँचाई भवन की अधिकतम अनुज्ञेय उँचाई के अध्वधीन सुनम्य (फ्लैक्सिबल) होगी।
- (ग) आवासीय एटिक की दशा में केवल 2.1 मीटर की स्पष्ट उँचाई वाला क्षेत्र ही एफ.ए.आर. के हेतु गिना जाएगा।
- (घ) आवासीय एटिक का विकल्प निवासिया और अन्य उपयोगों के लिए उपलब्ध होगा। प्रत्येक ब्लॉक में आवासीय एटिक हेतु पृथक फीस प्रभार्य होगी।
- (ङ) आवासीय आधारक को एक स्वतंत्र मंजिल के रूप में गिना जाएगा।”

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार,  
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. TCP-A(3)-5/2019-Loose, dated 04-07-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th July, 2023

**No. TCP-A(3)-5/2019-loose.**—WHEREAS, the draft notification to carry out amendments in the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014, was notified *vide* this Department

Notification of even number dated 31st May, 2023 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 3rd June, 2023 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh;

AND WHEREAS, the objection(s)/suggestion(s) received in this behalf within the stipulated period have been duly considered and accepted/rejected;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 87 of the Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 notified *vide* this Department Notification No. TCP-A (3)-1/2014-I, dated 1st December, 2014 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 1st December, 2014, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Ninth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Rule 16.**—In Rule 16 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 (hereinafter referred to as the ‘said rules’) after sub-rule (2), sub-rule (3), shall be added, namely:—

“(3) (a) In case of habitable attic, the following fee shall also be levied apart from fees payable under rule 16(2) for cases which involve premium F.A.R. upto 0.25 :—

Sl. No.	Area projection below portion of roof having height 2.1 m or more ( in Sqm.)	Rates (Rs.) (for Residential)
1.	Upto 40 Sqm.	50,000/-
2.	40-60 Sqm.	75,000/-
3.	60-100 Sqm.	1,00,000/-
4.	More than 100 Sqm.	1000/- per Sqm.

(b) The rates for uses other than Residential Use including Real Estate Projects will be 1.6 times of above rates.”

**3. Amendment of Appendix-1.**—In Appendix-1 appended to the ‘said rules’, in serial number-III, General Regulations, for regulation 22 the following shall be substituted, namely :—

“22. Attic and Basement:

- (i) Notwithstanding anything contained under the general regulations of any Development Plan/Interim Development Plan for the time being in force, as applicable in respect of any planning or special area notified under the statutory provisions of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977, the attic shall be permissible for habitable use. Premium F.A.R. of 0.25 shall be permissible for habitable attic for which additional fee as prescribed under rule 16(3) shall be payable. However, the attic shall be within the maximum

permissible height of the building as provided under such regulations of Development Plan/Interim Development Plan as the case may be.

- (ii) Wherever habitable attic is proposed, height of sloping roof at eaves may vary from 0 to 0.75 M and maximum height of ridge at centre shall be flexible subject to maximum permissible height of the building.
- (iii) In case of habitable attic only the area with clear height of 2.1 meters shall be counted towards F.A.R.
- (iv) The option of habitable attic shall be available for Residential and all other uses. Separate fee will be chargeable for habitable attic in each block.
- (v) The habitable basement shall be counted as independent storey.”

**4. Amendment of Appendix-8.**—In Appendix-8 appended to the ‘said rules’, in serial number 5 Other Imperatives, for regulation (ii), the following shall be substituted, namely :—

“(ii) Attic and Basement:

- (a) Notwithstanding anything contained under the general regulations of any Development Plan/Interim Development Plan for the time being in force, as applicable in respect of any planning or special area notified under the statutory provisions of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977, the attic shall be permissible for habitable use. Premium F.A.R. of 0.25 shall be permissible for habitable attic for which additional fee as prescribed under rule 16(3) shall be payable. However, the attic shall be within the maximum permissible height of the building as provided under such regulations of Development Plan/Interim Development Plan as the case may be.
- (b) Wherever habitable attic is proposed, height of sloping roof at eaves may vary from 0 to 0.75 M and maximum height of ridge at centre shall be flexible subject to maximum permissible height of the building.
- (c) In case of habitable attic only the area with clear height of 2.1 meters shall be counted towards F.A.R.
- (d) The option of habitable attic shall be available for Residential and all other uses. Separate fee will be chargeable for habitable attic in each block.
- (e) The habitable basement shall be counted as independent storey.”

By order,

DEVESH KUMAR,  
*Principal Secretary (TCP).*



**URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

*Shimla-2, the 5th July, 2023*

**No. UD-A(1)-3/2021-L.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following persons as members (Government Nominee) in following Nagar Panchayats in Himachal Pradesh:—

**1. NAGAR PANCHAYAT CHOPAL:**

- (i) Sh. Pankaj Negi s/o Sh. Kartar Singh Negi, Ward No. 3, Nagar Panchayat Chopal, Distt. Shimla, H.P.
- (ii) Sh. K.C. Chandel s/o Sh. Jai Krishan Chandel, Ward No. 1, Nagar Panchayat Chopal, Distt. Shimla, H.P.
- (iii) Sh. Prem Lal s/o Lt. Lachi Ram, Ward No. 6, Nagar Panchayat Chopal, Distt. Shimla, H.P.

**2. NAGAR PANCHAYAT NERWA:**

- (i) Sh. Sandeep Sood s/o Sh. Jagan Nath, Ward No. 3, Nagar Panchayat Nerwa, Distt. Shimla, H.P.
- (ii) Sh. Rajinder Singh s/o Sh. Verender Kanwar, Ward No. 4, Nagar Panchayat Nerwa, Distt. Shimla, H.P.
- (iii) Sh. Narender Thakur s/o Sh. Kirpa Ram, House 34/3, Nagar Panchayat Nerwa, Distt. Shimla, H.P.

By order,

DEVESH KUMAR,  
*Pr. Secretary (UD).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)**

Trilok Nath s/o Sh. Chand, aged 43 years, r/o Village Dugli, P.O. Rathiar, Tehsil & District Chamba (H. P.).

and

Kunta Devi d/o Sh. Karmo, aged 40 years, r/o Village Thehadu, P.O. Mangla, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

---

*Versus*

The General Public

*Subject.— Notice regarding registration of Marriage under section 15 & 16 of Special of Marriage Act, 1954.*

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 25-11-2001 at their place of residences and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 13-07-2023. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 12th Day of June, 2023.

Seal.

ARUN KUMAR SHARMA, HPAS,  
*Sub-Divisional Magistrate,  
Chamba, District Chamba (H.P.).*

---

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)**

Sanjeev Kumar s/o Gurdev, aged 27 years, r/o Mohalla Upper Julakari, P.O. Hardaspura, Tehsil & District Chamba (H. P).

and

Maneesha Devi d/o Deep Kumar, aged 23 years, r/o Village Sachuine, P.O. Bharmour, Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

*Versus*

The General Public

*Subject.— Notice regarding registration of Marriage under section 15 & 16 of Special of Marriage Act, 1954.*

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 23-04-2018 at their place of residences and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 27-07-2023. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 26th Day of June, 2023.

Seal.

ARUN KUMAR SHARMA, HPAS,  
*Sub-Divisional Magistrate,  
Chamba, District Chamba (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate Chamba, District Chamba (H. P.)**

Bindu Kumar s/o Sh. kishanu, resident of Village Kundi, P.O. Sunara, Tehsil & District Chamba (H. P.) age 24 years .

and

Seema d/o Sh. Jaiso, resident of Village Dehali, P.O. Kilod, Sub-Tehsil Dharwala, District Chamba (H. P.) age 21 years . . . *Applicants.*

*Versus*

General Public

*Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).*

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 20-12-2020 at their place of residence with Prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriage and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has nay objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 21-07-2023 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,  
Chamba, District Chamba (H.P.).*

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

नीचो पुत्री पर्जा, गांव थनास, डाकघर सिद्धकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिद्धकुण्ड, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2266/2023, दिनांक 14-06-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2021/9324, दिनांक 13-06-2023, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) परिवार रजिस्टर नकल, (6) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (7) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका नीचो पुत्री पर्जा, गांव थनास, डाकघर सिद्धकुण्ड, ग्राम पंचायत सिद्धकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका नीचो पुत्री पर्जा, गांव थनास, डाकघर सिद्धकुण्ड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 13-06-2023 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि नीचो पुत्री पर्जा, गांव थनास, डाकघर सिद्धकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 23-12-1971 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के माध्यम से एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका नीचो पुत्री पर्जा, गांव थनास, डाकघर सिद्धकुण्ड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सिद्धकुण्ड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 17-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

रन्जु कुमारी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव लडडी, डाकघर मसरुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा  
(हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मसरुंड, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2199/2023, दिनांक 13-06-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2021/9317, दिनांक 13-06-2023, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) परिवार रजिस्टर नकल, (6) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (7) शिक्षा प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदिका रन्जु कुमारी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव लडडी, डाकघर मसरुंड, ग्राम पंचायत प्राहनुई, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका रन्जु कुमारी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 13-06-2023 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रन्जु कुमारी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव लडडी, डाकघर मसरुंड, ग्राम पंचायत प्राहनुई, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 10-05-1999 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के माध्यम से एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका रन्जु कुमारी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव लडडी, डाकघर मसरुंड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव मसरुंड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 17-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती राणों देवी सुपुत्री डूमणू, निवासी गांव कैमीनाल, डाकघर भराडी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राणों देवी है, जोकि ग्राम पंचायत गडाना के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल सिखनू में गलती से वंसा देवी दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 15-07-2023 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर,  
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 06-BNT/2023

दायर तिथि : 20-04-2023

श्रीमती शारदा देवी पुत्री श्री दौलत राम, निवासी गांव त्रैहण, डा0 पिपलागे, तहसील भुन्तर,  
जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती शारदा देवी पुत्री श्री दौलत राम, निवासी गांव त्रैहण, डा0 पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1985 को स्थान गांव त्रैहण, डा0 पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु वह अपनी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शिलीहार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सकी।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती शारदा देवी पुत्री श्री दौलत राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-07-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार,  
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर,  
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 07-DNT/2023

दायर तिथि : 05-06-2022

श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री हरी राम, निवासी गांव हाट, डा0 बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री हरी राम, निवासी गांव हाट, डा0 बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकी दादी श्रीमती तवारसी देवी की मृत्यु दिनांक 15-03-1970 को स्थान गांव हाट, डा0 बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुई है परन्तु वह अपनी दादी की मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत हाट, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सका।

अतः इस इशतहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती तवारसी देवी पत्नी श्री जोघल की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-07-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी,  
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर,  
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 08-DNT/2023

दायर तिथि : 05-06-2022

श्री नन्द लाल पुत्र श्री अन्नत राम, निवासी गांव शाड़ाबाई, डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नन्द लाल पुत्र श्री अन्नत राम, निवासी गांव शाड़ाबाई, डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके भाई श्री परमानन्द की मृत्यु दिनांक 26-01-2007 को स्थान गांव वार्ड नं0 3 शमशी, डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुई है परन्तु वह अपने भाई की मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर पंचायत भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सका।

अतः इस इशतहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री परमानन्द पुत्र श्री अन्नत राम की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-07-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी,  
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर,  
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 08-MNT / 2023

दायर तिथि : 09-06-2023

1. श्री पंकज पुत्र श्री अर्जुन कुमार, निवासी गांव व डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
2. श्रीमती दिपिका पुत्री श्री अशोक कुमार, निवासी गांव घर नं0 बी0 11/222, वार्ड नं0 15, सब्जी मण्डी डानगु रोड़ पठानकोट, डाकघर व तहसील पठानकोट, पंजाब।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 09-06-2023 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 24-11-2016 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित नगर पंचायत भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-07-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।



आज दिनांक 14-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी  
एवं नायब तहसीलदार,  
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर,  
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 06-NCNT /2023

दायर तिथि : 08-08-2022

श्री मोहर सिंह पुत्र श्री चन्दे राम पुत्र श्री तीर्थु, निवासी गांव व डा0 जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री मोहर सिंह पुत्र श्री चन्दे राम पुत्र श्री तीर्थु, निवासी गांव व डा0 जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 08-08-2023 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी कशावरी कोठी काईस के राजस्व दस्तावेज में श्री मोहर सिंह पुत्र श्री चन्दे राम की जगह जिन्दू पुत्र श्री चन्दे राम दर्ज हुआ है। जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम दुरुस्त करके जिन्दू उर्फ मोहर सिंह दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-07-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर,  
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 05-NCNT /2023

दायर तिथि : 15-03-2023

श्री भोले राम पुत्र श्री खीमी राम पुत्र श्री हरी दास, निवासी गांव खारका, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—दरखास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री भोले राम पुत्र श्री खीमी राम पुत्र श्री हरी दास, निवासी गांव खारका, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 15-03-2023 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी शिलीहार कोठी खोखन के राजस्व दस्तावेज में श्री भोले राम पुत्र श्री खीमी राम की जगह बोणू पुत्र श्री खीमी राम दर्ज हुआ है। जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम दुरुस्त करके बोणू उर्फ भोले राम दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-07-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असागतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर,  
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 04-CENT/2023

दायर तिथि : 17-04-2023

श्री दुनी चन्द पुत्र श्री जैहरी पुत्र श्री मिलखी, निवासी गांव मशगां, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—दरखास्त बराये कागजात माल में जाति की दुरुस्ती बारे।

श्री दुनी चन्द पुत्र श्री जैहरी पुत्र श्री मिलखी, निवासी गांव मशगां, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 17-04-2023 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी जाति सहबन गलती से फाटी बजौरा कौठी बजौरा के राजस्व दस्तावेज में खतरी गद्दी की जगह राजपूत दर्ज हुई है जोकि गलत इन्द्राज हुई है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपनी जाति दुरुस्त करके खतरी गद्दी दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की जाति दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-07-2023 को सुबह 10.00 बजे या

इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जाति दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,  
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Ghan Shyam s/o Smt. Bali Devi, Village Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Birama Thapa Magar d/o Sh. Mohan Thapa Magar, r/o Bardiya, Ward No. 8, District Madhuvan, Nepal . . Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.*

Sh. Ghan Shyam s/o Smt. Bali Devi, Village Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Birama Thapa Magar d/o Sh. Mohan Thapa Magar, r/o Bardiya, Ward No. 8, District Madhuvan, Nepal at present wife of Sh. Ghan Shyam s/o Smt. Bali Devi, Village Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-02-2022 according to Hindu rites and customs at Budhi Bhairwa Temple Sojha Pandoh Mandi and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-07-2023, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 14th day of June, 2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-  
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sadar, District Mandi (H.P.).

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,  
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Mudit Sehgal s/o Sh. Anil Sehgal, H. No. 97/1, Jawahar Nagar Mandi (H.P.).
2. Smt. Bhavyakriti d/o Sh. Pushap Raj Tandon, r/o 236/8, Bangla Muhala, District Mandi (H.P.) . . Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.*

Sh. Mudit Sehgal s/o Sh. Anil Sehgal, H. No. 97/1, Jawahar Nagar Mandi (H.P.) and Smt. Bhavyakriti d/o Sh. Pushap Raj Tandon, r/o 236/8, Bangla Muhala, District Mandi (H.P.) at present wife of Sh. Mudit Sehgal s/o Sh. Anil Sehgal, H. No. 97/1, Jawahar Nagar Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13-10-2022 according to Hindu rites and customs at Budhi Bhairwa Temple Sojha Pandoh Mandi and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-07-2023, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 17th day of June, 2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sadar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Collector, Sarkaghat, District Mandi (H. P.)**

Appeal Case No. 24/2022

Date of Institution : 27-12-2022

In the matter of :

Mangal Singh s/o Sh. Nika Ram, r/o Village Saron (Tharu), Ill, Anantpur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) . . Appellants.

*Versus*

1. Gopal Singh since expired through LRs : (i) Sunil Kumar s/o Sh. Gopal Singh, (ii) Anil s/o Sh. Gopal Singh, (iii) Kirna d/o Late Sh. Gopal Singh, (iv) Neelam d/o Sh. Gopal Singh, (v) Sita Devi w/o Late Sh. Gopal Singh, 2. Santosh Kumar s/o Bhalkhu Ram, 3. Krishani Dev d/o Sh. Bhalkhu Ram, 4. Bimla Devi d/o Bhalkhu Ram, 5. Kalan Devi wd/o Bhalkhu Ram, 6. Mohar Singh since Expire through LRS: (i) Rajender Singh s/o Sh. Mohar Singh, (ii) Kamla devi d/o Mohar Singh, (iii) Soma devi d/o Mohar Singh, 7. Sanju Kumar s/o Bhag Singh, 8. Raj Kumar s/o Sh. Bhag Singh, all r/o Saroun Thadu, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P., 9. Tulsi Ram s/o Balak r/o Parol, P.O. & Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur, H.P., 10. Het Ram @ Hari Ram Since Expired through LRs, (i) Raj Kumar s/o Het Ram, (ii) Dhani Ram s/o Het Ram, (iii) Om Prakash s/o Het ram, (iv) Premi Devi wd/o Het Ram, 11. Ramesh Chand s/o Budhi Singh, 12. Raj Kumar s/o Sh. Budhi Singh, 13. Pawan Kumar s/o Budhi Singh, 14. Ram Lal s/o Sher Singh, 15. Baldev Raj s/o Ram Ditta, 16. Janki Devi wd/o Ram Ditta since expired through LR's Baldev Raj s/o Ram Ditta, 17. Sohan Singh s/o Sh. Kalu since expired through his LR's, (i) Sapna wd/o Sohan Singh all r/o Village Saron, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P., 18. Dhani Ram s/o Sh. Kalu, r/o Kangoo Ka Gehra, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P., 19. Balak Ram s/o Sh. Kalu, r/o Village sangroh, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur, H.P., 20. Judhya Devi d/o Sh. Kalu, 21. Gulabi Devi d/o Sh. Kalu, 22. Ghungar since dead through LR's, (i) Prem Singh s/o Sh. Ghungar, (ii) Nirbo d/o Sh. Ghungar, (iii) Sumna d/o Late Sh. Ghungar, (iv) Sito d/o Sh. Ghungar, (v) Kamla Devi wd/o Ghungar, 23. Parkash Chand since expire through LR's, (i) Yashbir s/o Late Sh. Parkash Chand, (ii) Ranbir s/o Late Sh. Parkash Chand (iii) Mita Devi d/o Late sh. Parkash Chand, (iv) Mehar Chand s/o Mauji, all r/o Village Saron (Tharu) Ill, Anantpur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. . . Respondents.

Appeal u/s 14 of Land revenue Act, against the order of A.C. 1st Grade Sarkaghat dated 24-04-2018 passed in partition file No. 11/2000.

Whereas in the above noted cased it has been proved to the satisfaction of this court that the respondents figuring at S. No. 10 (ii) (iv) 11, 12, 14 can not be served through ordinary processes issued against them. Hence, this proclamation under order 5 rule 20 C.P.C. has been issued against them to appear before this court on 18-07-2023 at 11.00 A.M. to defend the case personally or through an authorized agent or pleader, failing which *ex-parte* proceedings will be taken against them.

Given under my hand and seal of this court on this 23rd day of June, 2023.

Seal.

Sd/-  
Sub-Divisional Collector,  
Sarkaghat, District Mandi (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं० : 05/2023

तारीख मजरूआ : 03-04-2023

तारीख पेशी : 21-07-2023

श्री बरफू राम पुत्र मंगतू पुत्र नरातरू, निवासी तरयाम्बला, डाकघर लौंगणी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती बारे।

श्री बरफू राम पुत्र मंगतू पुत्र नरातरू, निवासी तरयाम्बला, डाकघर लौंगणी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि वादी का नाम क्षेत्रीय अभिकरण लौंगणी/पटवार वृत्त लौंगणी/महाल तरयाम्बला के राजस्व रिकार्ड में बरफू दर्ज है जोकि गलत है। वादी का नाम आधार कार्ड व परिवार नकल में बरफू दर्ज है जोकि सही है। इस प्रकार से प्रार्थी को कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः वादी का नाम क्षेत्रीय अभिकरण लौंगणी/पटवार वृत्त लौंगणी/महाल तरयाम्बला में बरफू की जगह बरफू राम दर्ज करने के आदेश दिए जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-07-2023 को असागतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है अन्यथा क्षेत्रीय अभिकरण लौंगणी/पटवार वृत्त लौंगणी/महाल तरयाम्बला के रिकार्ड में सही नाम बरफू राम उर्फ बरफू पुत्र मंगतू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)**

मिसल नं० : 12/2023

तारीख मजरूआ : 17-06-2023

तारीख पेशी : 13-07-2023

श्री राज कुमार पुत्र हिरदा पुत्र पुनू, निवासी हुकल, डाकघर लौंगणी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती बारे।

श्री राज कुमार पुत्र हिरदा पुत्र पुनू, निवासी हुकल, डाकघर लौंगणी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे ताया जी श्री चुहा राम की मृत्यु दिनांक 31-07-2009 को घर पर ही हुई परन्तु अज्ञानतावस ग्राम पंचायत लौंगणी में दर्ज न करवा पाये हैं। अतः मेरे ताये का नाम व मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत लौंगणी के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जायें। इस प्रकार से प्रार्थी को कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 13-07-2023 को असागतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है अन्यथा राज कुमार पुत्र हिरदा पुत्र पुनू के ताये का नाम श्री चुहा राम पुत्र पुनू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 15 / 2023

तारीख मजरूआ : 21-04-2023

तारीख पेशी : 04-08-2023

श्री ओमकार गुलेरिया पुत्र सन्त राम, निवासी मझौर, डाकघर चोलंगढ, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती बारे।

श्री ओमकार गुलेरिया पुत्र सन्त राम, निवासी मझौर, डाकघर चोलंगढ, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि वादी का नाम क्षेत्रीय अभिकरण रिछली के रिकार्ड/पटवार वृत्त कमलाह/महाल मझौर में ओंकार चन्द दर्ज है जोकि गलत है। वादी का नाम आधार कार्ड व परिवार नकल व शिक्षा प्रमाण-पत्र में ओमकार गुलेरिया पुत्र सन्त राम दर्ज है जोकि सही है। इस प्रकार से प्रार्थी को कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः वादी का नाम क्षेत्रीय अभिकरण रिछली/पटवार वृत्त कमलाह/महाल मझौर में दर्ज करने के आदेश दिए जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 04-08-2023 को अदालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है अन्यथा क्षेत्रीय अभिकरण रिछली/पटवार वृत्त कमलाह/महाल मझौर के रिकार्ड में सही नाम ओमकार गुलेरिया उर्फ ओंकार चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**CHANGE OF NAME**

I, Ajit Ram s/o Sh. Kakhu Ram, r/o Village Pandher, P.O. Tathwani, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Ranjeet Singh to Ajit Ram for all purpose in future. My D.O.B. is 02-01-1950. Please note.

AJIT RAM  
s/o Sh. Kakhu Ram,  
r/o Village Pandher, P.O. Tathwani,  
Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, Vikas Sharma s/o Sh. Prem Lal Sharma, r/o Village Behlag, P.O. Rishikesh, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Shreeya Sharma to Divisha Sharma for all purposes in future. Please note.

VIKAS SHARMA  
*s/o Sh. Prem Lal Sharma, r/o Village Behlag,  
P.O. Rishikesh, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).*